

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ० प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 27 जुलाई 2018


विषय- रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० द्वारा जनपद-हरदोई में राजमार्ग सं०-38 (बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग) के किमी०-00.00 से किमी० 21.00 तक व राजमार्ग सं०-21 (बिलराया-पनवारी मार्ग) के किमी० 174.00 किमी० 199.00 तक कुल 46 किमी० एवं 0.4848 हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-5140/ 11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/31676/2018, दिनांक 31-5-2018, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्या प्रस्तावक एजेसी को जनपद हरदोई में समान कार्य हेतु पूर्व में कोई अनुमति (Permission) निर्गत की गयी है? कृपया एतदविषयक सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


भवदीय


(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-229/11-सी- FP/UP/Others/31676/2018, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 30, 2018

- प्रतिलिपि- 1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा वांछित सूचना अभिलेखों/साक्ष्यों सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- 2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा वांछित सूचना अभिलेखों/साक्ष्यों सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- 3. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।